296

भी हुकम चन्द कछ तय: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

STARVATION DEATHS (PRECAU-TIONARY MEASURES AND RES-PONSIBILITIES) BILL*

श्री हु हम खन्य कख्रवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भूख से मृत्रु न होने देने के लिये भीर इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व के लिये ग्राम एवम् जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वविधानी उपायो का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर.स्थापित करने की श्रनुमित दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for precautionary measures by village and district authorities to avoid starvation deaths and for responsibilities therefor."

The motion was adopted.

श्री हुक्श चन्द कक्षवाय : मै विधेयक को पुर स्थापित करता हूं।

LIQUOR (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) BILL*

चौचरी राम गोपाल सिंह (विलहौर)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
मुझे शराव के व्यापार धौर वाणिज्य और
उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के
सम्बन्ध मे कितपय निर्वन्धनो का धौर उससे
सम्बन्धिन या धानुषंगिक विषयों का उपबन्ध
करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की
अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain restrictict, in relation to trade and commerce in, and production, supply, ard distribution of, liquor and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

ं **्रिचीघरी राम गोपाल सिंहः मै** विधेयक को पुर स्थापित करता हूं।

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Sections 2, 17 etc.)

डा॰ सक्सी नारायण पांडेय (मंदसीर): उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिष द अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की भ्रनुमति दी जाये।

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

The motion was adopted.

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाडेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

PROHIBITION ON INDICATION OF CASTE BILL

SHRI D. D. DESAI (Kaira): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition on indication of caste, religion, commut.ity or region, etc., with the name.

^{*}Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 2-12-1977.